खंड ४ संख्या १

105T
1

बिहार विधान सभा वादवृत

सरकारी रिपोर्ट

सोमवार, तिथि २० अगस्त, १९५१।

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Monday, the 20th August, 1951.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार,
पटना।
१९५२।

[मूल्य—छः आने]
[*Price—Annas 6.*]

बिहार सरकार के १९४८-४९ के विनियोग-लेखा तथा तत्संबंधी लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन का मेज पर रखा जाना।

LAYING ON THE TABLE THE APPROPRIATION ACCOUNTS OF THE GOVERNMENT OF BIHAR FOR THE YEAR 1948-49 AND AUDIT REPORT THEREON.

The Hon'ble Dr. SRI KRISHNA SINHA : Sir, in pursuance of Article 151(2) of the Constitution of India, I lay on the table the Appropriation Accounts of the Government of Bihar for the year 1948-49 and the Audit Report thereon which has been submitted by the Controller and Auditor-General of India to his Excellency the Governor to be laid before the Legislature.

I may add that the Appropriation Accounts and the Audit Report will be scrutinised by the Public Accounts Committee in accordance with the provisions of rule 162 of the Bihar Legislative Assembly Rules and that the report of the Committee will be presented to the Assembly in due course.

The Hon'ble Dr. SRI KRISHNA SINHA : I beg to move :

That the Appropriation Accounts for the year 1948-49 and the Audit Report thereon be made available for sale to the Public immediately after they have been laid before the Legislature and before they have been considered by the Public Accounts Committee.

The Hon'ble the SPEAKER : The question is :

That the Appropriation Accounts for the year 1948-49 and the Audit Report thereon be made available for sale to the public immediately after they have been laid before the Legislature and before they have been considered by the Public Accounts Committee.

The motion was adopted.

विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

LEGISLATIVE BUSINESS : OFFICIAL BILL.

पटना कॉरपोरेशन बिल, १९५० (१९५० की वि० सं० ४१)।

THE PATNA CORPORATION BILL, 1950 (BILL NO. 41 OF 1950).

माननीय अध्यक्ष—खंड २ को मैं चाहता हूं कि आज समाप्त कर दिया जाय। इस खंड पर श्री अमीन अहमद साहब का एक संशोधन था कि "सफर्ड" के बदले में "सफर्ड टू दी डन" रखा जाय। श्री अमीन अहमद साहब इस पर बोल चुके थे और उनको उत्तर भी मिल चुका था।

श्री सैयद अमीन अहमद—जी हां।

सदन के कार्य के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

STATEMENT OF HON'BLE THE CHIEF MINISTER REGARDING BUSINESS BEFORE THE HOUSE.

माननीय अध्यक्ष—अधिवेशन के सम्बन्ध में हमारे माननीय मुख्य मंत्री कुछ जरूरी बातें माननीय सदस्यों को बतला देना चाहते हैं।

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह—अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं माननीय सदस्यों से कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

दुर्गा-पूजा की छुट्टी का आरम्भ शायद दूसरी अक्तूबर से होता है। उस वक्त हमलोगों को कई दिनों के लिए असेम्बली को स्थगित करना होगा। उसके बाद देहली में कांग्रेस है जिसकी वजह से भी शायद हमारे असेम्बली के बहुत से मेम्बरों के लिये यहां उपस्थित होना असुविधाजनक होगा और उसके बाद जेनरल एलेक्शन के नजदीक आ जाने के कारण कुछ ऐसे झंझट रहेंगे जिनके कारण शायद असेम्बली के कामों को जिस खूबसूरती से हम करना चाहेंगे उस खूबसूरती से नहीं कर सकेंगे।

इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम यह कोशिश करें कि असेम्बली की कार्यवाहियों को दुर्गा-पूजा के पहले खतम कर डालें और इसके लिये मेरे कुछ सुझाव हैं।

असेम्बली की बैठक ११ बजे से पांच बजे तक चले और उसके बीच लन्च वगैरह की छुट्टी रहे। मैं हुजूर से प्रार्थना करूंगा कि मौका पड़ने पर अगर इसके बाहर भी बैठना पड़े तो हुजूर की ओर से मदद मिलनी चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहूंगा और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को कबूल करेंगे कि इस काम को जल्द खत्म करना चाहिये—इसके बारे में दो सुझाव हैं। एक तो यह कि शुक्रवार को औफिशीयल बिजीनेस में लगाया जाय और दूसरा यह कि शनिवार को जो छुट्टी रहती है वह न रहे। अगर ऐसा हमलोग कर सकेंगे तो उम्मीद की जाती है कि आवश्यक कार्य खत्म हो जायंगे। काम खत्म करने के लिए यह भी जरूरी है कि बहुत से ऐसे बिलों को जिनकी आवश्यकता न हो उन्हें ड्रौप कर दिया जाय। इसके लिये विशेष महकमों से राय लेकर एक सूची तैयार की गई है लेकिन मैं सूची को यहां पर नहीं पढ़ सकता हूं, क्योंकि इसे अभी कैबिनेट में रखना है। हमारे और साथियों की राय है कि इसको इसी सेशन में खत्म किया जाय और जो बिल जरूरी न हों उनको ड्रौप कर दिया जाय। [एक माननीय सदस्य—पटना कौरपोरेशन बिल को ड्रौप कर दिया जाय।] वह बहुत चल चुका है—उसे कैसे ड्रौप किया जा सकता है। इसके बाद मैं अध्यक्ष महोदय से सिफारिश करूंगा कि हमारे माननीय सदस्य इसको मान लेंगे और चलते-चलाते मैं अपने माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि उनसे मुझे बहुत मदद मिली है और यह शायद आखिरी दफा है इस नाव को किनारे तक लगाने की।

प्रश्नोत्तर का समय एक घंटे से ४५ मिनट रक्खा जाय तो १५ मिनट में इसका काम आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्य शनिवार को बैठने के लिये

और शुक्रवार को सरकारी काम में लगाने के लिये और सवाल के लिए ४५ मिनट देने के लिए तैयार होंगे। इसके बाहर भी अगर बैठना पड़े तो उसे आप कबूल करने की मेहरबानी करेंगे।

श्री सैयद अमीन अहमद—जनाब सदर, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कहा है.....।

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह—एक बात मैं भूल गया कहना। सबसे पहले आपकी पूजा होनी चाहिये। मैं आप से कहूंगा कि जरा आप भी थोड़ी मदद करें ताकि काम जल्द हो जाय।

श्री सैयद अमीन अहमद—लेकिन मैं सिर्फ यही कहता हूं कि हमलोगों का काम बहुत जिम्मेवारी का काम है। कानून बनाने का काम और ऐसा कानून जिसका सरोकार यहां के चार करोड़ जनता से है और इस पटना कॉरपोरेशन बिल जिसमें कम-से-कम तीन लाख आदमियों का सरोकार.....।

माननीय अध्यक्ष—शान्ति-शान्ति। पटना कॉरपोरेशन बिल में सिर्फ आपकी ओर से संशोधन आ रहे हैं और किसी माननीय सदस्य की ओर से नहीं, इसलिए आप अपनी जितनी जिम्मेवारी समझते हैं उतनी के विषय में ही कहें।

श्री सैयद अमीन अहमद—जनता का यही ओपिनीयन है कि उसके लिये काम करने वाला इस असेम्बली में सिर्फ एक ही आदमी है। (हास!) जनाब सदर, इसलिये हम चीफ मिनिस्टर साहब से कहेंगे कि इसकी कोशिश न होनी चाहिए कि जैसे-तैसे जल्द काम खत्म कर दिया जाय, बल्कि ठिकाने से काम होना चाहिये। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कम-से-कम पांच वर्ष के अन्दर जैसी हिफाजत आपने की है यहां की ओपोजिशन पार्टी की और यहां की तमाम जनता की और उनके राइट्स की, शायद उतनी हिफाजत किसी दूसरे ने नहीं की है, और हमलोग उम्मीद करते हैं कि आखिरी वक्त भी आपसे हमलोगों की हिफाजत हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि

to do our work to the best of our ability

और रेसपोनसिबीलिटी का ख्याल रखते हुए काम करें। ऐसा न हो कि जल्दी में काम खराब हो जाय।

माननीय अध्यक्ष—मगर माननीय मुख्य मंत्री ने जो कहा है उसमें यह बात नहीं है कि काम ठीक से न हो और आवश्यक बातों पर ध्यान न दिया जाय। शुक्रवार और शनिवार के विषय में उन्होंने इसलिये कहा है कि समय काफी मिले। लेकिन संशोधन देने के संबंध में आप पर कोई रोक नहीं है—आप जितने संशोधन दें, उन्हें कम करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री ने नहीं कहा है। वह तो मेरा काम होगा।

श्री सैयद अमीन अहमद—लेकिन हमलोग यही चाहते हैं कि इस कदर हमलोग थका न दिये जायं.....।

माननीय अध्यक्ष—वह बात और है। आप जब कभी मौज में चले आते हैं तो कह डालते हैं कि दो घन्टे तक इसका विरोध करूंगा और कभी १५ मिनट में ही अपना

विरोध खत्म कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दो घन्टे तक आप असंगत बातें बोलते रहें। लेकिन थोड़े समय में भी सब बातों को कह सकते हैं। मैं भी कुछ बोलना जानता था और बोला करता था और मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं कि बोलने वाले चाहें तो सभी बातें थोड़े समय में साफ-साफ रख सकते हैं। इसलिए आपके प्रति जो माननीय मंत्री ने विशेष निवेदन किया उसका भी कुछ मतलब है और उसे आपको समझना चाहिए। मेरी तरफ से यह आश्वासन है कि जितनी बातें माननीय मुख्य मंत्री ने रखी हैं उनको मैं ध्यान में रखूंगा और उनके मुताबिक काम चलाने की कोशिश करूंगा।

विधान कार्य : सरकारी विधेयक

LEGISLATIVE BUSINESS : OFFICIAL BILL.

पटना कॉरपोरेशन बिल, १९५० (१९५० की वि० सं० ४१)।

THE PATNA CORPORATION BILL, 1950 (BILL NO. 41 OF 1950).

माननीय पंडित विनोदानन्द झा—मैं तो उसी दिन निवेदन कर चुका था कि डन और सफर्ड" ऐसे लफ्ज हैं जिनको Indian General Clauses Act, Bihar General Clause Act और Madras और Punjab General Clause Act से लिया गया है।

श्री सैयद अमीन अहमद—जनाब सदर, मेरा मतलब यही है कि जो मेरे दोस्त चाहते हैं उसको साफ तरीके से कहें। "सफर" के मानी दो होते हैं—(ए) टु अंडरगो टु बेयर। "सफर" अगर सिर्फ रखा जाता है तो "एनीथिंग डन और सफर्ड" का मानी होगा "एनीथिंग डन और अंडरगौन"। लेकिन "सफर" जहां एलाउ के मानी में आता है वहां डिक्शनरी के मुताबिक" टु बी और टु एक्ट" के साथ आता है—जैसे "एनीथिंग सफर्ड टु बी डन" यहां 'सफर" के मानी सिर्फ एलाउ के होंगे और कोई मानी नहीं होगा। मेरे दोस्त भी इसको मानते हैं और हम भी मानते हैं। मेरे दोस्त पुराने १९२२ के ऐक्ट को १९५१ में लाते हैं। उस वक्त अगर किसी चीज को किसी ने भेंग छोड़ दिया तो क्या वह हमेशे के लिए भेंग ही रखी जायेगी? यह असूल अच्छा नहीं है। इसलिए मैं अपने दोस्त से कहूंगा कि इस एम्बीग्वीटी को रीमूव कर दें तो अच्छा हो। अब २०५१ और २१५१ में भी इसी तरह भेंग इसको रखा गया तो वह गलत होगा। अगर वह नहीं मानते हैं तो इसकी जिम्मेवारी उनकी है। मैं तो अपना अमेंडमेंट उठा लूंगा।

सभा की राय से संशोधन उठा लिया गया।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

इस सभा द्वारा यथासंशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ यथासंशोधित विधेयक का अंग बना।